शोध मंथन Vol. XV No.II Apr.-June 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.8777 (SJIF)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं दूरस्थ शिक्षा

प्राप्तिः 01.06.2024
स्वीकृतः 26.06.2024

डा० नीता वर्मा
एसिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
लक्ष्मी देवी आर्य कन्या स्ना0 महाविद्यालय,
मवाना, मेरठ
ईमेलः *neetverma3031@gmail.com*

39

सारांश

शिक्षा किसी राष्ट्र की प्रगति का मूलाधार होती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सुसंस्कृत, सुयोग्य, सभ्य एवं सक्षम बनाया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने यहां निवास करने वाले सभी नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था बिना किसी भेदभाव के करें।

मुख्य बिन्दू

शिक्षा, शिक्षण राष्ट्र,नीतियाँ,

शिक्षा किसी राष्ट्र की प्रगति का मूलाधार होती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सुसंस्कृत, सुयोग्य, सभ्य एवं सक्षम बनाया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने यहां निवास करने वाले सभी नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था बिना किसी भेदभाव के करें। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम मुख्यतः तीन स्वरूप देखते हैं–

औपचारिक शिक्षा

विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखी जाती है। इसमें व्यक्ति निश्चित समय, निश्चित स्थान निश्चित पाठयक्रम, निश्चित अध्यापक, निश्चित शिक्षण पद्धति एवं निश्चित उद्देश्य के साथ शिक्षा प्राप्त करता है। यह एक प्रकार से शिक्षा का संकुचित स्वरूप है।

अनौपचारिक शिक्षा

व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्युपर्यत चलने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण नए–नए अनुभव प्राप्त करता रहता है। इस शिक्षा के साधन के रूप में हम परिवार, समाज, रेडियो, टीवी, नाटक, पत्र–पत्रिकाएं, उत्सव, पुस्तकालय आदि को रख सकते हैं। यह शिक्षा का व्यापक एवं विस्तृत स्वरूप है। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का आधार होती है। जब बालक

स्कूल में प्रवेश लेता है तो वह अपने साथ पूर्व के अनुभव भी साथ लाता है अर्थात औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बिना अनौपचारिक शिक्षा के नहीं हो सकती।

निरौपचारिक शिक्षा

निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का मिश्रित स्वरूप है। इसमें औपचारिक शिक्षा के बंधन और अनौपचारिक शिक्षा की स्वतंत्रता को मिश्रित करके शैक्षिक कार्यक्रम की योजना इस प्रकार निर्मित की जाती है कि विद्यार्थी जब चाहे, जहाँ चाहे जितना चाहे अपनी रुचि, योग्यता क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह माना जाता है कि निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा 'शिक्षा को शिक्षार्थी तक पहुंचाने की कोशिश है।' ताकि लोग अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़कर इस देश, समाज, राष्ट्र व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम से कदम मिलाकर चल सके।

इस शिक्षा के अंतर्गत मुख्यतः दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अन्य नामों में हम पत्राचार शिक्षा, सतत शिक्षा, बाह्य शिक्षा व्यवस्था, गृह अध्ययन, आजीवन शिक्षा, मुक्त शिक्षा, डाक द्वारा अध्ययन, स्वतंत्र शिक्षा आदि को प्रचलित पाते हैं।

दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य दूर से दी जाने वाली शिक्षा अर्थात इस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को शिक्षार्थी के आमने–सामने की स्थिति में न होते हुए भी सीखने–सिखाने का कार्य निर्बाध गति से चलता रहता है। इसमें शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले व्याख्यान को दृष्टिगत रखते हुए लिखित संवाद का निर्माण करते हैं। जिसे स्वःअनुदेशनात्मक सामग्री कहा जाता है। इसमें शिक्षक विषय वस्तु के सभी बिन्दुओं की सविस्तार विवेचना करता है, साथ ही साथ शिक्षार्थी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी ध्यान वह रखता है। स्वअनुदेशन सामग्री को बार–बार पढ़ने के बाद यदि शिक्षार्थी या सीखने वाले को कुछ बिंदु समझ में न आए तो वह शिक्षक के साथ व्यक्तिगत विचार विमर्श कर सकता है। अतः दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक पूर्णतः अनुपस्थित नहीं रहता बल्कि वह अपने मुद्रित व्याख्यान में रमा हुआ होता है।

अक्सर देखा जाता है कि बाल्यावस्था में लोग विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए औपचारिक शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी) उनके लिए औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक ढंग से प्राप्त करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, उनके लिए एक प्रकार से दरवाजे खोलता है जिससे वे भी ''उपाधि'' (डिग्री) प्राप्त कर सकते हैं। इसमें न पारंपरिक कक्षा–कक्ष होते हैं और न शिक्षा की अन्य कठोरताएं, जैसे प्रवेश आयु, पाठयक्रम की अवधि, कक्षा में उपस्थिति, निर्धारित विषय–समूह आदि। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का कक्षा कक्ष में मिलना नहीं हो पता और वह विभिन्न माध्यमों से जैसे मुद्रित सामग्रियों के माध्यम से, रेडियों, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं जिसमें उपस्थिति को

अनिवार्य नहीं रखा जाता है पर यदि विद्यार्थी को शैक्षिक स्तर पर कोई समस्या जटिल प्रकार की है तो वह वहां जा कर के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

दूरस्थ शिक्षा का इतिहास

सामान्यतया दूरस्थ शिक्षा बीसवीं शताब्दी की देन स्वीकार की जाती है परंतु इसके उद्भव स्त्रोत को इसके पूर्व की शताब्दियों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पत्रों के आदान–प्रदान को दूरस्थ शिक्षा का आदि रूप स्वीकार किया जाता है ऐसा माना जाता है कि पत्राचार के द्वारा शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम सन 1840 में पिटमैन के पैनी डाक के माध्यम से छात्रों को शॉर्ट हैंड सिखाने के द्वारा हुआ था परंतु कुछ विद्वत जन इसका प्रारंभ 1830 से मानते हैं जब एक निजी अध्यापक ने द्वि–मागीं पत्र व्यवहार के द्वारा शिक्षण कार्य किया था। सन 1856 में बर्लिन में पत्राचार द्वारा भाषा सिखाने के लिए एक स्कूल खोला गया। इसके बाद अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन आदि में पत्राचार शिक्षा का काफी विकास हुआ। भारतवर्ष में पत्राचार शिक्षा का औपचारिक रूप से शुरुआत सन 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। सन 1969 में यूनाइटेड किंगडम में विश्व का प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और 1971 में जिसने अपने शैक्षिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया। भारत में रेडियों एवं दूरदर्शन की सहायता से लोगों को शिक्षित करने के लिए 1962 में प्रयास प्रारंभ हुआ। सन 1975–76 में 'उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग' (SITE) शुरू किया गया जिसमें ''प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच'' प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए गए। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का औपचारिक प्रारंभ सन 1965 में हुआ। विश्वविद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का श्री गणेश सन 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार शिक्षा पाठयक्रम प्रारंभ करने से हुआ। कोठारी कमीशन (1964–66) ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी पत्राचार पाठयक्रम की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हुए इनके प्रोत्साहन की दिशा में कार्य करने के लिए अपनी संस्तुति दी। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय सन 1982 में आंध्र प्रदेश में खोला गया। प्रथम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सन 1985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के नाम से स्थापित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत सी बातें कही गई, जिनमें प्रमुख रूप से कहा गया कि उच्च शिक्षा में अवसर को बढ़ाने तथा शिक्षा को लोकतांत्रिक स्वरूप देने व इसे जीवन पर्यन्त सीखने की प्रक्रिया बनाने के लिए मुक्त अधिगम प्रणाली शुरू की जाएगी। देश के नागरिकों को व्यवसायिक रूप से समृद्ध बनाने एवं उनकी विविधता पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अधिगम को अधिक लचीला और नवाचार से युक्त किया जायगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग प्रदान करेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को मजबूती प्रदान किया जाएगा तथा मुक्त अधिगम की सुविधा को देश के कोने–कोने तक माध्यमिक स्तर पर भी विस्तृत किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय प्रणाली (नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम) के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में कहा गया है कि– शिक्षा के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को सुदृढ़

तथा विकसित किया जाएगा, मुक्त अधिगम प्रणाली के द्वारा व्यवसायिक शिक्षा पाठयक्रम प्रारंभ करने की संभावना को देखा जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों को प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी कंसोर्टियम स्थापित करने की संभावना देखी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) को प्रधान लक्ष्य के रूप में दृष्टिगत रखते हुए एक नए कलेवर एवं सोच के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 के समय इस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के समय आमने–सामने की स्थिति में शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। अतः हम सब ने ओपन एडं डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों जैसे आईसीटी की सहायता एवं पत्राचार की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना सबके लिए सुलभ रहा। वर्तमान में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ऐसी स्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन अत्यंत महत्वपूण्र एवं उपयोगी साबित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के महत्व को स्वीकार करते हुए 10.10 में यह प्रावधान किया गया है संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने (एसडीजी4) हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा बशर्ते कि उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। सभी प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों जैसे कोई डिप्लोमा या डिग्री जो कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत प्रदान किए जाएं, उनकी गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान के परिसर में संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों के समतुल्य होगें अर्थात ओडीएल के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और आमने–सामने की स्थिति में संचालित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं रखा जाना चाहिए। कॉर्डियल के लिए मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सों को उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठयक्रमों के साथ संबंधित किया जाएगा और इस प्रकार पाठयक्रमों के मिश्रित स्वरूपों को वरीयता दी जायेगी अर्थात हम कह सकतें है कि अब ऑफलाइन मोड में संचालित पाठयक्रम के साथ–साथ ऑनलाइन मोड के पाठयक्रम को भी विकसित करते हुए मिश्रित रूप में पाठयक्रम को संचालित किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि अब सिर्फ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को पृथक रूप से संचालित नहीं किया जाएगा बल्कि इसे मिश्रित रूप से संचालित किया जाएगा। इसे हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अब यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठयक्रम में प्रवेश लेता है तो उसे कुछ पाठयक्रम आमने–सामने (फेस टू फेस) की स्थिति में पूर्ण करने होंगे और कुछ पाठयक्रम ऑनलाइन सम्पन्न करने होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देते हुए, ऐसे छात्रों को सिखाने के लिए और उन्हें स्कूली शिक्षा के दायरे में आवश्यक रूप से लाने के लिए नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रम को विस्तृत और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ऐसे युवाओं की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन

स्कूलिंग अपने यहां संचालित वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा ए, बी, सी स्तर के नए कार्यक्रम को संचालित करेगा। यह ए, बी, सी स्तर के कार्यक्रम वर्तमान औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के कक्षा 3, 5, और 8 के बराबर होंगे। इसके अलावा एनआईओएस माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम कक्षा 10 एवं 12 तथा व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम एवं जीवन संवर्धन कार्यक्रमों को भी संचालित करेगा। एनआईओएस की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व में स्थापित स्टेट इंस्टिटयूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एसआईओएस) को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाएं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा दूरस्थ शिक्षा का विस्तार

दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक स्व–अनुदेशनात्मक सामग्री में समय के साथ–साथ आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा में आधुनिक प्रौद्योगिकी शिक्षण हेतु बहुत प्रभावशाली एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रारंभ में दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन सामग्री मुद्रित रूप में डाक द्वारा शिक्षार्थी या सीखने वाले को प्रेषित की जाती थी। इस व्यवस्था में शिक्षार्थी को कई प्रकार की समस्याओं जैसे मुद्रित अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में देरी, पते में त्रुटि की स्थिति में अध्ययन सामग्री न मिल पाना आदि आती थी। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कार ने अब स्व–अनुदेशनात्मक सामग्री को एक माध्यम या स्त्रोत पर निर्भर न कर अन्य माध्यमों जैसे श्रव्य कार्यक्रम, दृश्य कार्यक्रम, कंप्यूटर सहायता प्राप्त पाठ द्वारा संस्था या शिक्षार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCS) वर्तमान में बहुत लोकप्रिय हैं, इसके माध्यम से छात्र अपनी गति व क्षमता से सीख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम द्वारा छात्रों के कई समूहों ने उपलब्ध स्व–अनुदेशनात्मक सामग्री में आवश्यक संशोधन एवं अद्यतन विषयवस्तु को अपनी तरफ से जोड़ते हुए अध्ययन सामग्री को बेहतर बना रहे हैं।

दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता हेतु प्रौद्योगिकी आवश्यक है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, इतनी विशाल जनसंख्या एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक सबके लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है। एक कक्षा में अधिकतम 500 शिक्षार्थियों को व्याख्यान दिया जा सकता है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा की कक्षा में कई हजार विद्यार्थी हो सकते हैं। भारत में लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं। इन लाखों विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए आईसीटी की सहायता ली जा रही है। भारत जैसे देश में लाखों की संख्या में दूरस्थ शिक्षा के शिक्षार्थी होने के कारण प्रति शिक्षार्थी लागत अत्यंत कम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई परिस्थितियां और वास्तविकताऐं हमारे सम्मुख आई हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारी ने हाल ही में जिस प्रकार से सभी का घर से निकलना तक बंद कर दिया, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के पांरपरिक स्वरूप द्वारा छात्रों को शिक्षित करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तरफ ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए इससे हम कैसे अधिकतम लाभ सावधानीपूर्वक उठा सकते हैं इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया हैं। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की

जानी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि पारंपरिक कक्षा का एक अच्छा शिक्षक स्वचालित ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा यह आवश्यक नहीं है। इस शिक्षा नीति में डिजिटल प्रौद्योगिकी को स्कूल स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के सभी स्तरों पर विस्तारित करते हुए कई प्रमुख पहलों की सिफारिश की गई है जैसे ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन का प्रावधान किया गया है, इसमें ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए, ऑनलाइन शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना तथा छात्रों का पंसदीदा ई–कंटेन्ट का प्रारूप तैयार करना, छात्रों में ऑनलाइन उपकरणों के प्रयोग की आदत डालना महत्वपूर्ण है। उक्त कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए भारत सरकार नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ), सेंट्रल इंस्टीटयूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (सीआईईटी), नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस), इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू), इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान कर उनकी सहायता ली जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा और ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा कि जो तेजी से बदलते समय के साथ अपडेट होती रहे। ऑनलाइन शिक्षण मंच एवं उपकरण विकसित किए जाएंगे। वर्तमान समय में स्वयं और दीक्षा जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा। जहाँ तक संभव होगा शिक्षको और छात्रो को डिजिटल सामग्री उनके सीखने की भाषा में ही प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्चुअल लैब्स भी स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों और शिक्षकों को पहले से ही लोड की गई अध्ययन सामग्री वाले टेबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर भी विचार इस शिक्षा नीति में किया गया है और ऐसे उपकरणों को विकसित करने की बात भी कहीं गई हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अध्यापान में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरणों का उपयोग करके कैसे उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का सृजन स्वयं करने में सक्षम होंगे। 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए परख (PARAKH), स्कूल बोर्ड, एनटीए और अन्य चिन्हित निकाय मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे और उसे क्रियान्वित करेंगे।

भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसका अपना एक शैक्षिक उपग्रह है। भारत में 20 सितंबर 2004 को एजुकेशनल सैटेलाइट (एडुसैट) नामक एक उपग्रह प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह की सहायता से शहर से गांव तक ख्यातिलब्ध शिक्षकों के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ पहुंचाया जा सकता था। हालांकि यह हमारे राष्ट्र के लिए दुखद रहा कि 2010 में यह नष्ट हो गया। जितनी नई तकनीकी ज्ञान का प्रयोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किया जाएगा, उसी अनुपात में भारत का विकास संभव होगा। एडुसैट भारत सरकार द्वारा इसी दिशा में किया गया प्रयास था। एडुसैट से कई भारतीय संस्थाएं अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करती थी जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

मुक्त विश्वविद्यालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आदि।

दूरस्थ शिक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इग्नू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इग्नू की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. ऐसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना जो अभी तक उच्च शिक्षा से वंचित हो।

2. विशिष्ट लक्षित वर्गों जैसे पिछड़े क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले छात्रों, गृहणियों, कैदियों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना।

3. लोगों को उनके घर पर या उनके कार्यस्थल पर उनकी सुविधा अनुसार समयानुकूल शैक्षिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

इग्नू ने कैदियों की शिक्षा के लिए 1994 में तिहाड़ जेल में एक अध्ययन केंद्र खोलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कैदियों को अध्ययन सामग्री एवं पुस्तकालय की व्यवस्था सभी जेलों में समन्वयक और सहायक कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इग्नू कई प्रकार से कैदियों को सहायता सेवा उपलब्ध कराता है। जैसे–

1. जो कैदी अधिक पढ़े लिखे होते हैं उन्हें शैक्षिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर एक समूह तैयार किया जाता है।

2. विभिन्न चैनलों जैसे ज्ञानवाणी, ज्ञानदर्शन, दीक्षा एवं स्वयंप्रभा आदि तथा रेडियों, टीवी के माध्यम से कैदियों के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है।

3. इग्नू कैदियों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है तथा अध्ययन सामग्री इस प्रकार से निर्मित की जाती है कि कैदी उसे आसानी से पढ़कर समझ सके।

4. इग्नू अपने मुख्यालय के माध्यम से कैदियों द्वारा पूँछे जाने वाले प्रश्नों का समाधान टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा करता है।

5. इग्नू कैदियों को ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध कराता है, जिससे कैदियों को शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिलती है।

इस प्रकार इग्नू कैदियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करता है जिससे कैदी शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

प्रदेश स्तर पर यदि हम मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम लिया जा सकता है जिसकी स्थापना 1999 में की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे यह मंशा थी कि दूरवर्ती शिक्षा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा का सुनियोजित ढंग से प्रचार प्रसार सुदूर क्षेत्रों में किया जा सके। इस विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में शिक्षा व्यवस्था एवं संपूर्ण पठन–पाठन शिक्षार्थी केंद्रित होना, प्रवेश के उपरांत पाठय सामग्री उपलब्ध कराया जाना, प्रवेश में सामान्यतया आयु सीमा का न होना, किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत पाठयक्रम के चयन में शिक्षार्थी के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होना,

प्रत्येक शिक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन केंद्र पर चिन्हित पाठयक्रमों में से पाठयक्रम चयन की सुविधा, मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में प्रवेश के साथ शिक्षार्थी को अन्य विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, नौकरी के साथ पाठन–पाठन की सुविधा, शिक्षार्थी को एक शैक्षिक सत्र में स्नातक कोर्स के साथ एक डिप्लोमा कोर्स अथवा एक सर्टिफिकेट कोर्स और इसी प्रकार एक डिप्लोमा कोर्स के साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स लेने की सुविधा उपलब्ध हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूर्व दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ और स्थापित रूप में संचालित हो रही थी। समय–समय पर इसके पूर्व भी विभिन्न आयोगों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसका बहुत ही सुखद और सर्वग्राही परिणाम रहा। वैश्विक महामारी कोविड–19 से पूर्व दूरस्थ शिक्षा को दोयम दर्जे की शिक्षा के रूप में देखा जाता था, क्योंकि इसमें औपचारिक शिक्षा की तरह किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता था। लेकिन वैश्विक महामरी में दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रयोग किए जा रहे माध्यमों जैसे पत्राचार सामग्री, आईसीटी के प्रयोग की सार्थकता को वैश्विक स्तर पर सिद्ध किया गया। जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे तब भी ऑनलाइन माध्यमों द्वारा लोगों ने अपनी शिक्षा को गतिमान रखा, इसके लिए आधार का काम एक प्रकार से दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था ने प्रदान किया। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए अब आमने–सामने की स्थिति में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ सभी पाठयक्रम में ऑनलाइन एजुकेशन के पाठयक्रम को भी तैयार किया जाएगा और दोनों को मिश्रित (ब्लेंडेड) रूप से पढ़ाया जाएगा और दोनों माध्यमों द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा जिससे भविष्य में यदि किसी प्रकार की वैश्विक महामारी या अन्य आपदा आए तो हमारी शिक्षा बाधित न होने पाए वह सुचारू रूप से चलती रहे।

सन्दर्भ

1. शर्मा, आर. ए. – डिस्टेंस एजुकेशन, मेरठः ईगल बुक्स इंटरनेशनल, 2015।
2. साहू, पी. के. – ओपन लर्निंग सिस्टम, न्यू दिल्लीः उप्पल पब्लिकेशन 2004।
3. गुप्ता, एस. पी. – दूरस्थ शिक्षा, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, 2016।
4. अग्निहोत्री, रवीन्द्र – आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएं और समाधान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, सातवां संस्करण 2013।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।